



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1501) पटना, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025

सं० प्र०-12(नि०)-43/2025-2294/खाद्य
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

9 सितम्बर 2025

विषय :- बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण/दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना का गठन रू0 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति तथा एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति।

बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों यथा सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक इत्यादि को खाद्यान्न के वैज्ञानिक पद्धति से गोदामों में भंडारण हेतु प्रशिक्षण एवं खाद्यान्न वितरण में उच्च कोटि के प्रबंधन की आवश्यकता एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से चयनित होने वाले बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक प्रशिक्षण संस्थान के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि सहायक प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक/बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदानित खाद्यान्न की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से पात्र लाभुकों को ससमय गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मुहैया कराया जा सके।

- राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में सतत् वृद्धि के फलस्वरूप खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के पश्चात् उसके भंडारण एवं संरक्षण हेतु अनुसंधान की सुविधा को विकसित करने एवं उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे किसानों को उनके द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का

उचित मूल्य मिल सके एवं उनके आय में वृद्धि हो सके तथा राज्य में उत्पादित खाद्यान्नों का राज्य में ही समुचित उपयोग करने के लिए भंडारण, प्रबंधन एवं वितरण करने के लिए एक सक्षम प्रणाली विकसित की जा सके।

3. भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम को राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू किया गया। साथ ही समानांतर रूप से पी०डी०एस० कम्प्यूटराईजेशन तथा डोर स्टेप डिलेवरी कार्यक्रम का भी सम्पूर्ण दायित्व बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम को सौंपा गया, जिसका क्रियान्वयन निगम के स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ किया जा रहा है। उपर्युक्त के अनुरूप बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत जी०पी०एस० एवं लोड सेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में टी०पी०डी०एस० गोदाम/एफ०सी०आई० डिपो/सी०एम०आर० डिपो पर जियो फेंसिंग किया गया है, जिससे खाद्यान्न की कालाबाजारी की संभावना न्यून हो गई है। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के तहत स्थापित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए कुशल तकनीकी युक्त पदाधिकारी/कर्मियों के अतिरिक्त इसके अनुश्रवण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए पृथक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि खाद्यान्नों को लाभुकों तक पहुँचाने में विचलन की समस्या को समाप्त किया जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकुशल कर्मियों एवं निगम को अत्याधुनिक तकनीकी रूप से सम्पन्न बनाने के साथ सम्प्रति सौंपी गयी सभी व्यवस्थाओं गोदामों आदि के सुचारु रूप से संचालन, प्रभावी पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
4. निगम में पूर्व से सहायक प्रबंधक/लेखापाल/निम्नवर्गीय लिपिक कार्यरत हैं। निगम में वर्ष 2024 में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के माध्यम से सहायक प्रबंधक/सहायक लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/निम्नवर्गीय लिपिक/गुणवत्ता नियंत्रक की नियुक्ति हुई है, जिनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के निष्पादन कराने एवं उनके कौशल विकास हेतु उनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।
5. बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम का पत्रांक-1511 दिनांक 24.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि निगम निदेशक पर्वद के 183वीं बैठक दिनांक 12.06.2025 के मद संख्या-183.16 में निम्न निर्णय लिया गया –

"Upon discussion, the Board considered the recommendation to establish Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT at the third and fourth floor of the multi-purpose building of SFC, located in R.Block, Patna and to establish a laboratory under the institute to undertake the work of quality testing of food grains, laboratory research and Investigation in the above Training Institute subject to its approval from the State Government, Bihar."

उक्त के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि० के बहुद्देशीय भवन के तीसरे एवं चौथे तल पर Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna –(BIGSMT) की स्थापना करने एवं संस्थान के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जाँच, प्रयोगशाला अनुसंधान एवं जाँच कार्य हेतु प्रयोगशाला की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर बिहार सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

6. बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि० द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम के एक इकाई के रूप में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -BIGSMT) की स्थापना आर०ब्लॉक अवस्थित 'बहुद्देशीय भवन', पटना के रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ तल में किया जाना है।

(क) उक्त प्रशिक्षण संस्थान के अधीन भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना, डब्ल्यू०बी०एन०पी० इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों एवं

फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना है।

(ख) राज्य स्तरीय प्रयोगशाला— उच्च स्तरीय खाद्यान्न यथा— फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) इत्यादि की जाँच, शोध एवं अनुसंधान हेतु एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला का स्थापना किया जाना है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

7. बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के एक संस्थागत इकाई के रूप में कार्य करेगा एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निदेशक पद, बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की शासी परिषद् (Governing Council) के रूप में कार्य करेगा एवं निदेशक, बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उक्त शासी परिषद् की संरचना निम्नवत होगी :

क्र0सं0	पदनाम	पद
01	प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
02	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार, पटना	सदस्य
03	प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
04	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य
05	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
06	निदेशक, बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना	सदस्य-सचिव

उक्त संस्थान के संचालन से संबंधित मार्गदर्शिका परिशिष्ट-‘क’ के रूप में संलग्न है।

8. बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) के प्रशासनिक संरचना के गठन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-270, दिनांक 09.09.2025 परिशिष्ट-‘ख’ द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है—

(क) बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) के प्रशासनिक संरचना के गठन हेतु कुल 19 पदों की स्वीकृति की आवश्यकता है जो निम्नवत है :-

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं0
1	निदेशक (सं0सं0 या उच्चतर पद)	PB-3+8700/- Level-13	01
2	संयुक्त निदेशक (बि0प्र0से0 के अपर समाहर्ता/ राज्य खाद्य निगम के संवर्गीय)	PB-3+7600/- Level-12	04
3	उप निदेशक (जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समकक्ष, बिहार आपूर्ति सेवा/ जिला प्रबंधक संवर्ग)	PB-3+6600/- Level-11	06
4	प्रधान लिपिक	PB-2+4200/- Level-6	02
5	निम्न वर्गीय लिपिक	PB-1+1900/- Level-2	04
6	आशुटकक	PB-1+2400/- Level-4	02
	कुल		19

उपर्युक्त तालिका के क्रम सं0 01, 02, 04, 05 एवं 06 में अंकित पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का पदस्थापन किया जाएगा एवं क्रम संख्या-03 में अंकित उप निदेशक पद के 06 पदों में से 03 पदों पर विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी समकक्षीय एवं 03 पदों पर

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के नियंत्रणाधीन सहायक प्रबंधक संवर्ग के पदाधिकारियों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।

उक्त पदों के अतिरिक्त 18 अन्य पदों यथा—सहायक प्रबंधक के 08 पद, कोर्स कॉडिनेटर (सहायक प्रबंधक संवर्ग) के 04 पद एवं सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रयोगशाला) के 06 पदों पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारी/कर्मि प्रतिनियुक्त होंगे, जिसके लिए निगम के अधीन पद का सृजन किया जाता है।

- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-05(ड) में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना गठन के आलोक में आउटसोर्स के आधार पर भी निम्नवत् पदों की स्वीकृति है :-

क्र०सं०	पद का नाम	औसत मानदेय (रूपये में)	पद की सं०
1	लैब टेकनिशियन	28,000	02
2	कार्यपालक सहायक	25,243	08
3	कार्यालय परिचारी/रात्रि प्रहरी	18,933	10
	कुल		20

- (ग) निगम के पदाधिकारी/कर्मियों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अतिथि प्रशिक्षक को नियत अनुमानित मानदेय ₹ 2500/- प्रति सत्र के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

9. अतः वर्णित स्थिति में निम्नवत् प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई है -

- (क) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के एक इकाई के रूप में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -BIGSMT) की स्थापना।

- (ख) बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -BIGSMT) के प्रशासनिक संरचना के गठन तथा वार्षिक वित्तीय व्यय- ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) पर पदों की स्वीकृति।

- (ग) उक्त प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना, डब्ल्यू0बी0एन0पी0 इत्यादि योजनाओं के खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला एवं उच्च स्तरीय खाद्यान्न यथा- फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) इत्यादि पर शोध एवं अनुसंधान हेतु एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना।

10. उक्त मद में राशि का व्यय हेतु नया बजट शीर्ष खोलते हुए द्वितीय अनुपूरक/तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि का उपबंध कराया जा सकेगा।

11. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 09.09.2025 को मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है (संचिका संख्या-प्र० 12 (नि०)-43/2025/20/टि०)।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाए।

आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

परिशिष्ट—क

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना के एक इकाई के रूप में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) का संचालन मार्गदर्शिका।

1. **प्रस्तावना I**—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना, आई0सी0डी0एस0 इत्यादि योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न एवं अधिप्राप्ति के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और वितरण में उच्च कोटि के प्रबंधन की आवश्यकता के अनुरूप बिहार सरकार द्वारा उक्त कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता के मद्देनजर बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT), पटना की स्थापना बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना के एक इकाई के रूप में किया जा रहा है। साथ ही उक्त संस्थान में भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्नों एवं फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला तथा उच्च स्तरीय खाद्यान्न यथा— फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) इत्यादि की जाँच, शोध एवं अनुसंधान का कार्य किये जाने हेतु एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला का स्थापना किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

2. **उद्देश्य I**—बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT) का प्राथमिक उद्देश्य निम्नवत है:

1. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों यथा—सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक, आपूर्ति निरीक्षक इत्यादि को खाद्यान्न के गुणवत्तापूर्ण भंडारण एवं वितरण हेतु उच्च कोटि के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0पी0डी0एस0) एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों के गुणवत्ता नियंत्रण, वैज्ञानिक भंडारण, संचालन और वितरण के लिए संस्थागत क्षमता का विकास करना।
3. फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) सहित खाद्यान्न के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए अनुसंधान एवं जाँच प्रयोगशाला स्थापित करना एवं खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में योगदान देना।
4. खाद्यान्न अधिप्राप्ति एवं वितरण में लगे पदाधिकारियों/कर्मियों की तकनीकी, प्रबंधन और पर्यवेक्षकीय क्षमताओं के उन्नयन के लिए एक स्थायी तंत्र बनाना।
5. जी0आई0एस, जीपीएस, जियो-फेंसिंग, आपूर्ति श्रृंखला डिजिटलीकरण और डेटा एनालिटिक्स सहित अनाज भंडारण प्रबंधन और निगरानी में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।

3. **शासी परिषद् I**—

1. बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की एक संस्थागत इकाई के रूप में कार्य करेगा एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निदेशक पद, बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की शासी परिषद् (Governing Council) का गठन करेगा, जिसकी संरचना निम्नवत होगी:—

क्र0सं0	पदनाम	पद
01	प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
02	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार, पटना	सदस्य
03	प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
04	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य
05	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
06	निदेशक, बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना	सदस्य—सचिव

2. बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, शासी परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के निदेशक पद के अन्य सभी सदस्य शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक शासी परिषद् के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
4. **शासी परिषद् का दायित्व :**
01. शासी परिषद् उक्त प्रशिक्षण संस्थान के संचालन में आनेवाली कठिनाईयों के निराकरण एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यक नीति निर्धारण एवं आदेश/निर्देश जारी कर सकेगा।
02. बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड दैनिक मामलों में प्रशासनिक और संचालन निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।
5. **विभाग का दायित्व ।**—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभावी संचालन के लिए समय-समय पर नीतियों का निर्धारण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा।
6. **प्रशासनिक संरचना ।**—बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्वीकृत प्रशासनिक ढांचे में 19 नियमित पद शामिल हैं, जिसपर सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों/कर्मियों का पदस्थापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 18 अन्य पदों यथा—सहायक प्रबंधक के 08 पद, कोर्स कॉर्डिनेटर (सहायक प्रबंधक संवर्ग) के 04 पद एवं सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण/गुणवत्ता नियंत्रक(प्रयोगशाला) के 06 पदों पर बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारी/कर्मि प्रतिनियुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के संचालन एवं प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु 20 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा।

6.1 नियमित पद :

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं०
1	निदेशक (सं०स० या उच्चतर पद)	PB-3+8700/- Level-13	01
2	संयुक्त निदेशक (बि०प्र०से० के अपर समाहर्ता/ राज्य खाद्य निगम के संवर्गीय)	PB-3+7600/- Level-12	04
3	उप निदेशक (जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समकक्ष, बिहार आपूर्ति सेवा/जिला प्रबंधक संवर्ग)	PB-3+6600/- Level-11	06
4	प्रधान लिपिक	PB-2+4200/- Level-6	02
5	निम्न वर्गीय लिपिक	PB-1+1900/- Level-2	04
6	आशुटंकक	PB-1+2400/- Level-4	02
	कुल		19

6.2 निगम में सृजित होने वाले पद :

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं०
1	सहायक प्रबंधक	PB 2+4600/- Level-7	08
2	कोर्स कॉर्डिनेटर (सहायक प्रबंधक संवर्ग)	PB -2+4600/- Level-7	04
3	सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण/ गुणवत्ता नियंत्रक	PB-1+2400/- Level-4	06
	कुल		18

6.3 आउटसोर्स पद

क्र० सं०	पद का नाम	औसत मानदेय	पद की सं०
1	लैब टेकनियन	28,000	02
2	कार्यपालक सहायक	25,243	8
3	कार्यालय परिचारी/रात्रि प्रहरी	18,933	10
	कुल		20

निगम के पदाधिकारी/कर्मियों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन आपूर्ति निरीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अतिथि प्रशिक्षक को नियत मानदेय ₹ 2500/- प्रति सत्र के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

उक्त मद में कुल अनुमानित वार्षिक वित्तीय व्यय ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) मात्र का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

7. अवसंरचना एवं अवस्थिति ।—बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, आर० ब्लॉक, पटना स्थित बहुदेशीय भवन के तीसरी एवं चौथी मंजिल पर एवं प्रयोगशाला की स्थापना उक्त परिसर में की जाएगी, जिसका आंतरिक साज-सज्जा और तकनीकी एवं अन्य व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण कार्य एवं अन्य कार्यकलाप ।—बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे :

- निम्नलिखित पदाधिकारियों/कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण एवं संचालन:
 - सहायक प्रबंधक
 - गुणवत्ता नियंत्रक
 - आपूर्ति निरीक्षक (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत)
- निम्नलिखित विषयों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु सामग्री विकसित करना :
 - वैज्ञानिक पद्धति से अनाज भंडारण
 - फोर्टिफाइड चावल (FRK) एवं पोषण प्रबंधन
 - गोदाम संचालन एवं कीट प्रबंधन
 - आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (SCM) एवं खाद्यान्न परिवहन प्रबंधन
 - जी०पी०एस० आधारित पर्यवेक्षण और जियो-फेंसिंग
- खाद्यान्न के गुणवत्ता की जाँच, गुणवत्ता विश्लेषण, शोध एवं अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण।
- विशेषज्ञों एवं पदाधिकारियों द्वारा सेमिनार, कार्यशाला और व्याख्यान आयोजित करना।
- योग्य अतिथि प्रशिक्षकों की एक सूची बनाए रखना, जिन्हें ₹2,500 प्रति सत्र के स्वीकृत मानदेय पर पारिश्रमिक दिया जाएगा।

9. गुणवत्ता प्रयोगशाला ।—बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय खाद्यान्न गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जो निम्नलिखित कार्य करेगी :

- चावल, गेहूँ, दालों और फोर्टिफाइड चावल के दानों सहित खाद्यान्नों की जाँच।
- भंडारण संरक्षण और क्षति निवारण हेतु अनुसंधान और नवाचार।
- खाद्यान्न प्रबंधन तकनीक एवं अवसंरचना की कार्य क्षमता का वैज्ञानिक सत्यापन।
- नमी मापक यंत्र, प्रयोगशाला उपकरण और विश्लेषणात्मक उपकरणों का अंशांकन/मापन संशोधन।

10. वित्तीय प्रावधान :-

- पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि मद, प्रशिक्षण, प्रयोगशाला संचालन शोध एवं अनुसंधान कार्य के लिए तथा मानदेय एवं अन्य मद के लिए कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) मात्र का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- (ii) सभी सामाग्रियों के क्रय/अधिप्राप्ति हेतु राशि का व्यय वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश एवं प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

11. पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण :-

- (i) बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक सीधे प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को रिपोर्ट करेंगे और शासी परिषद् को आवधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष वार्षिक प्रशासनिक, वित्तीय और प्रशिक्षण प्रतिवेदन समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

12. दिशा-निर्देश और संशोधन जारी करने की शक्ति :-

- (i) राज्य सरकार द्वारा बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के उन्नत संचालन और नीति निर्धारण के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त संस्थान के नियमित प्रशासनिक कार्यक्रम और परिचालन दिशा-निर्देश को लागू करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- (iii) प्रशिक्षण कैलेंडर बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के निदेशक पक्ष के अनुमोदन से जारी किया जायेगा।

13. अनुशासनिक प्राधिकार।—शासी परिषद् के अध्यक्ष उक्त संस्थान के अनुशासनिक प्राधिकार होंगे।

14. संलग्नक।—अनुलग्नक :-I संगठनात्मक चार्ट

आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

Annexure-A

Operational Guidelines of Bihar Food Grain Storage Management & Training Institute (Bihar Food Grain Storage Management & Training Institute) as a unit of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited, Patna.

- 1. Preamble.**—In view of the need for high quality management in scientific storage and distribution of foodgrains allocated under National Food Security Act, and various scheme such as Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, Welfare Institutions and Hostels Scheme, ICDS etc. and for proper training of officers and employees engaged in the said work Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna (BIGSMT) is being established as a unit of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited, Patna the Government of Bihar. In addition to this, a laboratory is being established in the said institute for testing the quality of foodgrains and fortified rice kernel (FRK) allotted by the Government of India and a NABL accredited state level laboratory is being setup for testing, conducting research on high level food grains such as Fortified Rice Kernel (FRK) etc., so that high quality foodgrains can be made available to the beneficiaries covered under the National Food Security Act.
- 2. Objectives.**—The primary objectives of Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna (BIGSMT) are as follows:
 - (1) To impart high quality management training for quality storage and distribution of food grains to the officials and personnel of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited, Patna and Food and Consumer Protection Department such as Assistant Manager, Quality Controller, Supply Inspector etc.

- (2) To develop institutional capacity for quality control, scientific storage, handling and distribution of food grains under Targeted Public Distribution System (TPDS) and other schemes.
- (3) To establish research and testing laboratory for quality assessment of food grains including fortified rice kernel (FRK) and contribute towards food safety and nutritional security.
- (4) To create a permanent mechanism for upgradation of technical, management and supervisory capabilities of the officials/personnel engaged in food grain procurement and distribution of food grains.
- (5) To promote use of technology including GIS, GPS, geo-fencing, supply chain digitization and data analytics in management and monitoring of grain storage.

3. Governing Council.—

- (1) The Bihar Food Grains Storage Management and Training Institute shall function as an institutional unit of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited and the Board of Directors of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited shall constitute the Governing Council of Bihar Food Grains Storage Management and Training Institute, which shall have the following composition:

Sl. No.	Designation	Post
01	Principal Secretary, Food and Consumer Protection Department Bihar, Patna	Chairman
02	Managing Director, Bihar State Food and Civil Supplies Limited, Bihar, Patna	Member
03	Principal Secretary, Agriculture Department, Bihar, Patna	Member
04	Secretary, Rural Development Department, Bihar, Patna	Member
05	Representative of Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Bihar, Patna	Member
06	Director, Bihar Grain Storage Management and Training Institute, Patna	Member-Secretary

- (2) The Principal Secretary/Secretary, Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar shall act as the Chairman of the Governing Council. All other members of the Board of Directors of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited shall act as members of the Governing Council. The Director, of Bihar Food Storage Management and Training Institute shall act as the Member Secretary of the Governing Council.

4. Responsibility of the Governing Council:-

- (1) The Governing Council may issue necessary policy and orders/directives for resolving difficulties in the operation of the said training institute and for its smooth operation.
- (2) Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited shall be the competent authority to issue administrative and operational instructions in routine matters.

- (3) The State Government shall determine necessary guidelines and policies from time to time for the effective operation of Bihar Food Storage Management and Training Institute.
5. **Role of the Department.**—Food and Consumer Protection Department shall issue direction time to time for effective operation of Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna.
6. **Administrative Structure.**—The approved administrative structure of Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna (BIGSMT) includes 19 regular posts, on which officers/employees under the control of General Administration Department, Food and Consumer Protection Department and Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited will be posted. In addition to this, officers/employees of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation will be deputed on 18 other posts such as 08 posts of Assistant Manager, 04 posts of Course Coordinator (Assistant Manager Cadre) and 06 posts of Quality Controller (Laboratory). Apart from this, 20 posts will be filled through outsourcing to provide assistance in the operation of the laboratory and administrative and other works.

6.1 Regular posts.—

Sl. No	Name of Post	Pay Scale	Number of Post
1	Director (Joint Secretary or Higher Post)	PB-3+8700/- Level-13	01
2	Joint Director (Additional Collector of BAS/ Cadre of State Food Corporation)	PB-3+7600/- Level-12	04
3	Deputy Director, Equivalent to District Supply Officer, Bihar Supply Service/District Manager Cadre	PB-3+6600/- Level-11	06
4	Head Clerk	PB-2+4200/- Level-6	02
5	Lower Division Clerk	PB-1+1900/- Level-2	04
6	Stenographer	PB-1+2400/- Level-4	02
	Total		19

6.2 Posts to be created in the Corporation

Sl. No	Name of Post	Pay Scale	Number of Post
1	Assistant manager	PB 2+4600/- Level-7	08
2	Course Coordinator (Assistant manager Cadre)	PB -2+4600/- Level-7	04
3	Assistant manager, Quality Control/ Quality Controller	PB-1+2400/- Level-4	06
	Total		18

6.3 Outsourced Positions

Sl. No.	Designation	Average Honorarium	Number of Post
1	Lab Technician	28,000	02
2	Executive Assistant	25,243	08
3	Office Attendant/ Night Watchman	18,933	10
	TOTAL		20

For training of officers/employees of the Corporation and supply inspectors under the control of Food and Consumer Protection Department, the guest trainer will be paid a fixed honorarium of ₹ 2500/- per session.

The total estimated annual financial expenditure on the above item amounting to ₹ 4,64,94,396 (Four crore sixty four lakh ninety four thousand three hundred ninety six rupees) only will be borne by the State Government.

7. **Infrastructure and Location.**—Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna (BIGSMT) shall be established on the third and fourth floor of the multipurpose building of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited situated at R.Block, Patna, and the laboratory shall be established in the said premises, those interior decoration, technical and other arrangement will be done by Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited.
8. **Training Functions and Other Activities.**—The Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna (BIGSMT) shall be responsible for the following:
 - (i) To scheduling and conducting the training programmes for the following officials/employees:
 - (a) Assistant Manager
 - (b) Quality Controller
 - (c) Supply Inspector (under Food and Consumer Protection Department)
 - (ii) To developing material for quality training of the following subjects:
 - (a) Scientific grain storage
 - (b) Fortified rice (FRK) and nutrition management
 - (c) Warehouse operation and pest management
 - (d) Supply chain management (SCM) and foodgrain transportation management
 - (e) GPS based supervision and geo-fencing
 - (iii) Training regarding foodgrain quality testing, quality analysis, research and investigation.
 - (iv) Organizing seminars, workshops and lectures by experts and officials.
 - (v) Maintaining a list of qualified guest trainers who will be remunerated at the approved honorarium of ₹2,500 per session.
9. **Quality Laboratory.**—A State Level Food Grain Quality Testing Laboratory will be set up under Bihar Institute of Grain Storage Management and Training , Patna which will perform the following works:
 - (i) Testing of food grains including rice, wheat, pulses and fortified rice grains.
 - (ii) Research and innovation for storage preservation and loss prevention.
 - (iii) Scientific validation of food grain management technic and efficiency of infrastructure.

- (iv) Calibration/Measurement modification of moisture measuring instruments, laboratory equipment and analytical instruments.

10. Financial Provisions:-

- (i) The total estimated annual expenditure ₹ 4,64,94,396 (Four Crore Sixty Four Lakh Ninety Four Thousand Three hundred Ninety Six Rupees) for the salary of officers/employees, training, operation of laboratory, research and investigation work and honorarium and other items will be borne by the State Government of only.
- (ii) The expenditure of the amount for the purchase/acquisition of all the materials will be made in the light of the Finance Department's Resolution No. 12888 dated 03.12.2024 and the guidelines and provisions laid down by the State Government from time to time.

11. Supervision and Monitoring:-

- (i) The Director of Bihar Institute of Grain Storage Management and Training , Patna shall report directly to the Managing Director, Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited and shall submit periodical evaluation report and audit report to the Governing Committee.
- (ii) Annual administrative, financial and training report shall be submitted to the Principal Secretary, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna for review.

12. Power to issue guidelines and amendments.—

- (i) The State Government may issue directions from time to time for improved operation and policy formulation of the Bihar Institute of Grain Storage Management and Training Institute, Patna (BIGSMT).
- (ii) Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited will act as the nodal agency for implementing the regular administrative program and operational guidelines of the said institute.
- (iii) The training calendar will be issued with the approval of the Board of Directors of Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited.

13. Disciplinary Authority.—Principal Secretary, Food and Consumer Protection Department shall be the disciplinary authority of the said Institute.

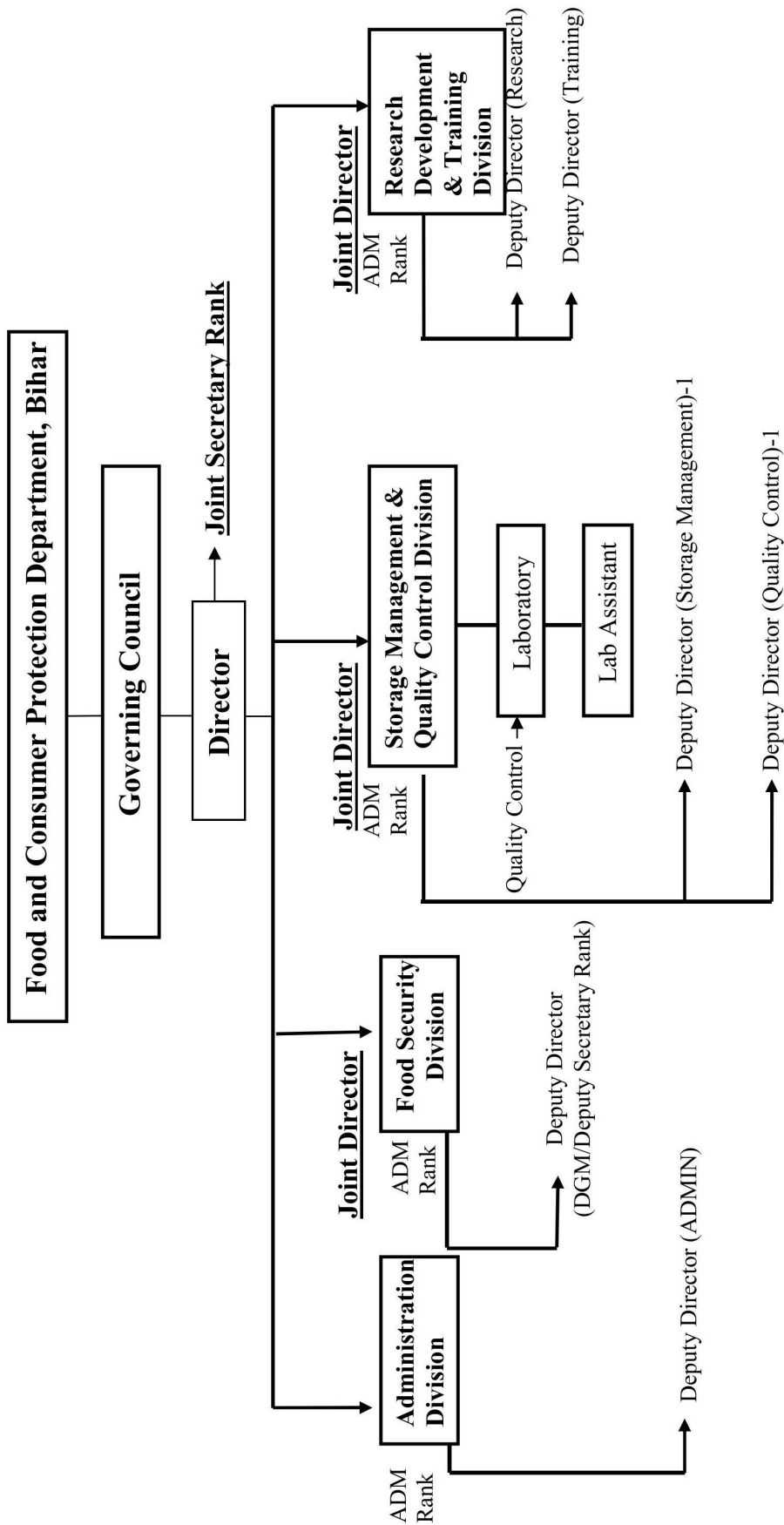
14. Enclosure .—

- (i) Organizational Chart

By Order,
Pankaj Kumar,
Principal Secretary.

अनुलग्नक :- I

Bihar Institute of Grain Storage Management & Training, Patna (BIGSMT)



सं० प्र०12-(नि०)-43 / 2025-270 / खाद्य,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

द्वारा —

वित्त विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:—

पटना / दिनांक—9 सितम्बर 2025
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों के प्रशिक्षण / दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना का गठन, ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति तथा एन०ए०बी०एल० (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:—

स्वीकृत।

- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों के प्रशिक्षण / दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना का गठन, ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति दी गई है, जो निम्नवत है :—

(I) नियमित पद

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं०
1	निदेशक (सं०स० या उच्चतर पद)	PB-3+8700/- Level-13	01
2	संयुक्त निदेशक (बि०प्र०से० के अपर समाहर्ता / राज्य खाद्य निगम के संवर्गीय)	PB-3+7600/- Level-12	04
3	उप निदेशक (जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समकक्ष, बिहार आपूर्ति सेवा / जिला प्रबंधक संवर्ग)	PB-3+6600/- Level-11	06
4	प्रधान लिपिक	PB-2+4200/- Level-6	02
5	निम्न वर्गीय लिपिक	PB-1+1900/- Level-2	04
6	आशुटकक	PB-1+2400/- Level-4	02
	कुल		19

(II) निगम में सृजित होने वाले पद

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं०
1	सहायक प्रबंधक	PB 2+4600/- Level-7	08
2	कोर्स कॉर्डिनेटर (सहायक प्रबंधक संवर्ग)	PB -2+4600/- Level-7	04
3	सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण/गुणवत्ता नियंत्रक	PB-1+2400/- Level-4	06
	कुल		18

- उक्त संस्थान में 02 लैब टेकनिशियन, 08 कार्यपालक सहायक एवं 10 कार्यालय परिचारी/रात्रि प्रहरी की सेवा आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएगी, जिसके विरुद्ध ₹ 53,67,288/- (तिरेपन लाख सड़सठ हजार दो सौ अठ्ठासी रुपये) मात्र का वार्षिक व्यय होगा एवं प्रशिक्षण हेतु अतिथि प्रशिक्षक को नियत मानदेय ₹ 2500/- प्रतिसत्र के अनुसार भुगतान पर ₹6,00,000/- (छः लाख रुपये) मात्र का वार्षिक व्यय होगा।
- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) है। अनुमानित व्यय विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
- उक्त मद में राशि का व्यय हेतु नया बजट शीर्ष खोलते हुए द्वितीय अनुपूरक/तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि का उपबंध कराया जा सकेगा।
- दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त है।
- दिनांक 09.09.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त है।

आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

अनसूची-1

(i) वार्षिक व्यय विवरणी

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की सं०	औसत वेतन (एक माह का)	औसत वेतन (एक वर्ष तक)	अभ्युक्ति
1	निदेशक (सं०स० या उच्चतर पद)	PB -3+8700/- Level-13	01	222805X1=222805	26,73,660.00	
2	संयुक्त निदेशक (बि०प्र०से० के अपर समाहर्ता/ राज्य खाद्य निगम के संवर्गीय)	PB -3+7600/- Level-12	04	145100X4=580400	69,64,800.00	
3	उप निदेशक (जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समकक्ष, बिहार आपूर्ति सेवा/जिला प्रबंधक संवर्ग)	PB -3+6600/- Level-11	06	125675X6=754050	90,48,600.00	
4	प्रधान लिपिक	PB-2+4200/- Level-6	02	74184X2=148368	17,80,416.00	
5	निम्न वर्गीय लिपिक	PB-1+1900/- Level-2	04	41376X4=165504	19,86,048.00	
6	आशुटंकक	PB-1+2400/- Level-4	02	51000X2=102000	12,24,000.00	
	कुल		19		2,36,77,524	

(ii) BIGSMT में प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम में सृजित होनवाले पद की व्यय विवरणी

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं०	औसत वेतन (एक माह का)	औसत वेतन (एक वर्ष तक)	अभ्युक्ति
1	सहायक प्रबंधक	PB 2+4600/- Level-7	08	91511x8=732088	87,85,056.00	गोदाम प्रबंधन / कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण
2	कोर्स कॉर्डिनेटर (सहायक प्रबंधक संवर्ग)	PB - 2+4600/- Level-7	04	91511x4=366044	43,92,528.00	प्रशिक्षण से संबंधित कार्य
3	सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण / गुणवत्ता नियंत्रक	PB- 1+2400/- Level-4	06	51000x6=306000	36,72,000.00	प्रयोगशाला / गुणवत्ता प्रशिक्षण से संबंधित कार्य
	कुल		18		1,68,49,584.00	

(iii) आउटसोर्स के आधार पर लिये जाने वाले पद

क्र० सं०	पद का नाम	मानदेय	पदों की सं०	औसत मानदेय (एक माह का)	औसत मानदेय (एक वर्ष तक)	अभ्युक्ति
1	लैब टेकनिशियन	28000	02	56000	6,72,000.00	
2	कार्यपालक सहायक	25243	08	201944	24,23,328.00	
3	कार्यालय परिचारी / रात्रि प्रहरी	18933	10	189330	22,71,960.00	
	कुल		20		53,67,288.00	

(iv) अतिथि प्रशिक्षक को नियत अनुमानित मानदेय

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	पद का नाम	मानदेय	प्रशिक्षण व्यय प्रतिमाह	औसत मानदेय (एक वर्ष तक)	अभ्युक्ति
1	अतिथि प्रशिक्षक	2500/Session	2500x20=50000	6,00,000.00	अनुमानित प्रतिमाह 20 प्रशिक्षण
	कुल			6,00,000.00	

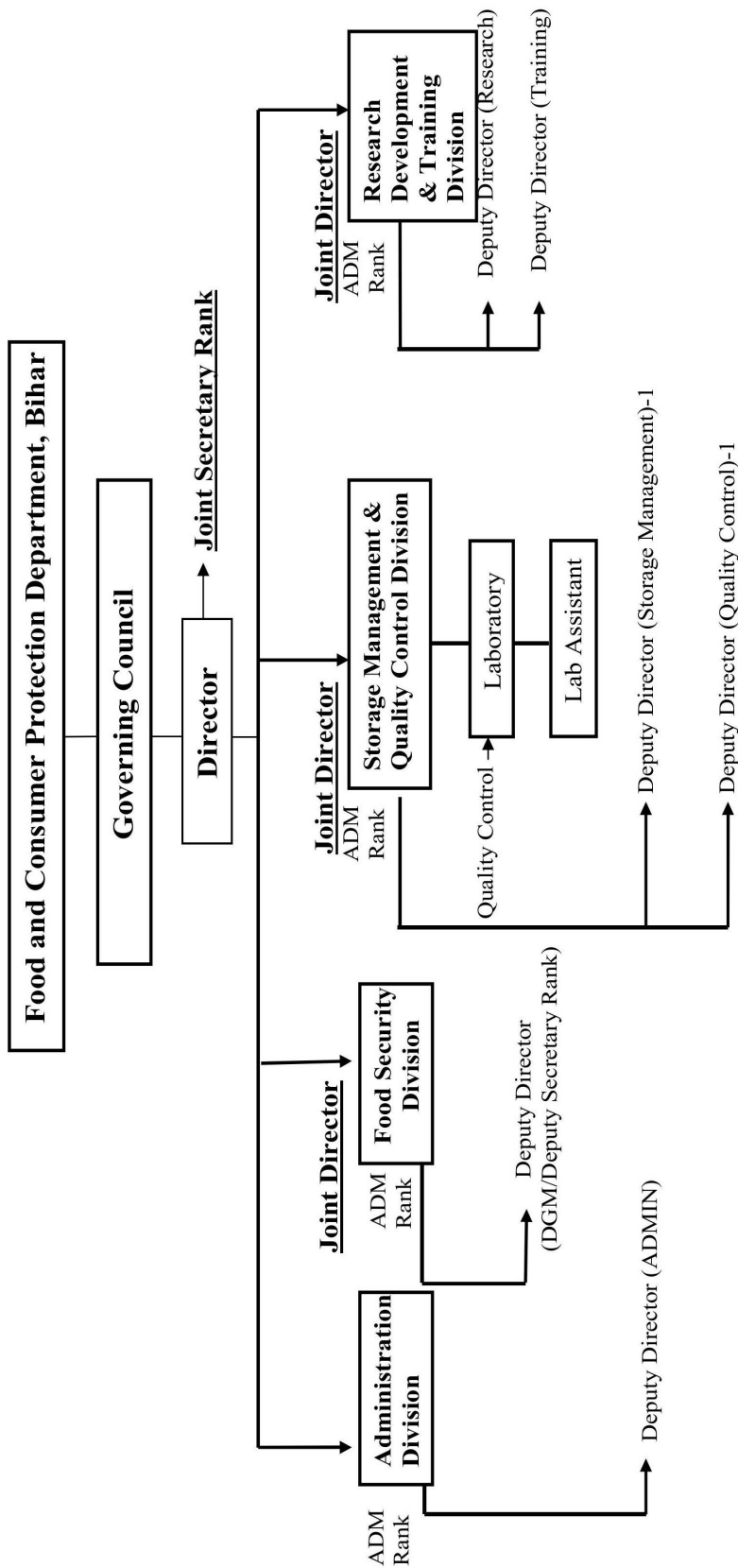
4,64,94,396.00

(चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे)

आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

अनुसूची :- II

Bihar Institute of Grain Storage Management & Training, Patna (BIGSMT)



अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1501-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>